न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

वासगीत अपील वाद– **43/99**

रामानंद सिंह वनाम भीखन राम व राज्य।

–:: आदेश ::–

23.3.15

प्रस्तुत वासगीत अपील अपीलार्थी रामानंद सिंह द्वारा वासगीत पर्चा वाद 43/99–2000 में दिनांक 02.11.98 को भीखन राम के नाम वासगीत पर्चा निर्गत किये जाने संबंधी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया है।

अपीलार्थी का कहना है कि पुराना केडेस्ट्रल सर्वे में खाता 558 रकवा 16 कट्ठा 15 धूर एवं पुराना खाता 189 संतोष सिंह पिता– अदया सिंह के नाम था। जमीन संतोष सिंह के शांति पूर्वक दखल कब्जा में था तथा वह भूतपूर्व जमींदार को लगान का भुगतान किया करते थे। जमींदारी उन्मूलन के समय 'जमीन बिहार का रीर्टन संतोष सिंह के नाम दाखिल किया गया तथा बिहार सरकार के सिरिस्ता में जमाबंदी कायम किया गया।

कलान्तर में संतोष सिंह की मृत्यु हो गयी। उनके पीछे रमणदेश सिंह एवं रमणदेशी सिंह भी गुजर गये। इनके गुजर जाने के बाद महावीर प्रसाद सिंह अपने पिता, दादा के उत्तराधिकारी हुए। महावीर प्रसाद सिंह भी छः बेटे राजेन्द्र प्रसाद सिंह, रामोतार सिंह, गणेश सिंह, मधुसूदन सिंह, रंजीत सिंह एवं रामदयाल सिंह को छोड़कर गुजर गये। महावरी प्रसाद सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य की स्वामित्व एवं कब्जा रहा। कुछ विशेष परिस्थिति में केडेस्ट्रल सर्वे खाता नंबर 558 की जमीन सुरेन्द्र नारायण सिंहएवं अन्य से बदला कर लिया गया था। कुछ जमीन मदन सिंह एवं अन्य के हाथ बेच लिया गया। इस तरह रामनंदन सिंह एवं अन्य परिवार वालों के पास मात्र 2 कट्ठा 14 धूर जमीन बचा। इस बीच पारिवारिक बँटवारा हुआ। बँटवारा में पुराने केडेस्ट्रल सर्वे खाता 558 का शेष बचे भाग रामोतार सिंह, पिता– महेश्वर सिंह को मिला, जिसपर उनका कब्जा था तथा बिहार सरकार को वे नियमित लगान का भुगतान करते रहे।

कलान्तर में पुराने सर्वे केडस्ट्रल खाता 558 पर घर बनकार शेष भाग में बांस एवं अन्य पौधे लगाये। रिवीजनल सर्वे में सर्वे पदाधिकारी को काबिज पाकर पुराने केडेस्ट्रल सर्वे खाता 558 का नया खाता 995, 996 कुल 12 डीसमल रामोतार सिंह के नाम दर्ज किया। दिनांक 22.07.98 को रामोतार सिंह का निधन हो गया। उनके चार पुत्र रामानंद सिंह, परमानंद सिंह, श्यामानंद सिंह एवं विनोद कुमार सिंह को अधिकार स्वामित्व में चला गया जिसका वे बिहार सरकार को लगान देने लगे। दिनांक 19.08.1999 को जब अपीलार्थी ने अफवाह सुनी कि उक्त जमीन का जाल फरेब करके भीखन राम, पे0– गेना राम ने अपने नाम वासगीत पर्चा निर्गत कर लिया है तब अपीलार्थी अंचल कार्यालय पहुँच कर जानकारी प्राप्त की। अंचल कार्यालय से 20.08.1999 को जानकारी मिली कि वासगीत पर्चावाद 43/99–2000 के अन्तर्गत 12 डीसमल जमीन का पर्चा भीखन राम के नाम निर्गत हुआ है। तदोपरान्त आवेदक प्रमाणित प्रति दिनांक 23.08.1999 को प्राप्त किया एवं प्रस्तुत अपील दाखिल किया है।

अपीलार्थी ने गलत वासगीत पर्चा निर्गत निर्गत किये जाने का निम्नांकित कारण बतलाया है :–

अंचलाधिकारी का आदेश एक मृत व्यक्ति से संबंधित है क्योंकि रामोतार सिंह की दिनांक 22.07.1998 को ही मृत्यु हो चुकी थी। इस तरह कानूनन सारी कार्यवाही अवैधानिक है। अंचलाधिकारी द्वारा वासगीत पर्चा से संबंधित कोई नोटिश न तो आवेदक और न ही उनके पिता के नाम से दी गयी। पीठ पीछे चुपके–चुपके पर्चा निर्गत कर दिया गया। अंचलाधिकारी ने जमीन स्वामित्व की न तो स्वयं जाँच की और न ही किसी उप समाहर्त्ता सम्वर्ग के पदाधिकारी से करायी। आश्चर्य की बात है कि पुराने केडेस्ट्रल सर्वे के प्लाट 996 पर भीखन राम के कब्जे की बात कर्मचारी ने कभी अंचलाधिकारी को प्रतिवेदित नहीं किया, लेकिन अंचलाधिकारी सोनवर्षा ने अपने आदेश दिनांक 02.11.1998 में पुराना प्लाट 996 पर भी भीखन राम का कब्जा अंकित है। अंचलाधिकारी ने 12 डीसमल जमीन जिसमें प्लाट 995 का भी 6 डीसमल जमीन सन्निहित का पर्चा भीखन राम के नाम निर्गत कर दिया। अंचल निरीक्षक

23.3.15

का प्रतिवेदन भी विरोधाभाषी है, तथा तथ्य एवं वास्तविक स्थिति से भिन्न है। अंचल निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि प्लाट नंबर 996 रकवा 4 डीसमल एवं प्लाट नंबर 995 रकवा 6 डीसमल कुल 10 डीसमल जमीन के वासगीत पर्चा हेतु निर्गत करने की अंचल निरीक्षक ने दिनांक 01.11.98 को अनुशंसा की। अंचल अमीन ने दिनांक 06.07.98 को अपने प्रतिवेदन में कहा है कि भीखन राम का अपने परिवार सहित प्लाट नंबर 995 रकबा 65 डीसमल पर घर है। प्लाट 996 के 4 डीसमल पर बांस एवं केले का वृक्ष लगा हुआ है।

यह हास्यावद है कि अंचल अमीन ने अपने प्रतिवेदन में बांस एवं केला का वृक्ष भीखन राम द्वारा लगाना बतलाया गया। स्पष्टतया ये सारे तथ्य जाली बनावटी एवं भीखन राम को लाभ पहुँचाने की वजह से सांग–गांठ कर प्रतिवेदित है। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि अंचलाधिकारी ने गलत रूप से भू–स्वामी को नोटिस तामिल कराने की बात अभिलेख में कही है, क्योंकि भू–स्वामी रामोतार सिंह आदेश के काफी पूर्व दिनांक 22.07.1991 को स्वर्ग सिधार चुके थे। यह भी गलत अंकित किया गया है कि अंचल निरीक्षक एवं कर्मचारी के प्रतिवेदन से अंचलाधिकारी संतुष्ट है, जो अपने आप विरोधाभाष है। इस तरह अंचलाधिकारी का आदेश पूर्णतया गलत है एवं निरस्त के योग्य है। अंचलाधिकारी को इस बात पर आश्वस्त हो लेना था कि पुराना सर्वे प्लाट 558 रैयती था तथा पूर्ववती जमीन्दार ने रीटर्न दाखिल कर रैयती बताया था एवं रिभीजनल सर्वे में भी आवेदक के पूर्वज का कब्जा दिखलाते हुए 1902–03 से 1970–71 तक कब्जा दिखलाया है। सर्वे पदाधिकारी द्वारा खाता 996 के 6 डीसमल पर आवेदक का घर बना हुआ पाये जाना अंकित है। इन तथ्यों के बावजूद उक्त जमीन पर अंचलाधिकारी द्वारा भीखन राम का घर पाया जाना प्रतिवेदित कराना अंचलाधिकारी के एक पक्षीय कार्रवाई बतलाया गया।

उल्लिखित तथ्यों के आधार पर निर्गत वासगीत पर्चा को निरस्त करने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी भीखन राम का पूर्व में दिये गये लिखित जबाव में कहना है कि वे बेसहारा तथा मजदूर वर्ग का आदमी है। विविदित मौज सोहा के पुराना खेसरा 558 जिसका नया खाता 609 नया खेसरा 995, 996 है रकवा 12 डीसमल है। प्रतिवादी के दादा स्व0 सुखाय राम ही मकान बनाकर रहना शुरू किये और उसके बाद प्रतिवादी के पिता स्व0 गेना राम और अब भीखन राम रहते आये है। इस प्रकार प्रतिवादी का करीब 60–70 वर्षों से मकान है। अंचलाधिकारी सोनवर्षा ने अपने स्तर से स्थल जॉच प्रतिवेदन तथा सभी प्रकार से छानबीन कर नियमानुसार वासगीत पर्चा निर्गत किया है जो बिल्कुल वैध एवं न्याय संगत है। अपीलार्थी रामानंद सिंह, प्रमोद सिंह, श्यामानंद सिंह, विनोद सिंह सभी पिता – रामोतार सिंह धनी–मानी संभ्रात किसान है, जिनके पास अभी भी एक सौ बीघा से अधिक जमीन है। ये लोग बड़े किसान के साथ नौकर रखकर जमीन उपजाते है। अपीलार्थी की ओर से दायर केस बिल्कूल गलत एवं मनगढंत है।

अन्ततः प्रतिवादी ने अंचाधिकारी द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा को सही एवं दुरूस्त बतलाते हुए अपील वाद को खारीज करने की याचना की है।

विपक्षी वनने हेतु आवेदन दिनांक 09.09.2017 को स्वीकृत किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपने लिखित बहस में पारिवारिक वंश वृक्ष देते हुए जमीन का विवरण दिया है तथा भीखन राम का 20.10.97 को अंचलाधिकारी को दिये गये आवेदन का उल्लेख किया है, जिसमें घर बने रहने की जॉच पड़ताल कर पर्चा निर्गत की याचना की है। अग्रतर अपीलार्थी ने कर्मचारी अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का हवाला देते हुए अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश का उल्लेख किया है। दिनांक 25.08.2006 को प्रतिवादी द्वारा समर्पित 60–70 वर्षों से दखल कब्जे संबंधी प्रत्युत्तर की बात कही गयी है। इसके अतिरिक्त वासगीत पर्चा निर्गत करने संबंधी Privileged Person Home Tenancy Rules 1948 को उद्धत कर अपीलार्थी ने कहा है कर्मचारी, अमीन, अंचल निरीक्षक और अचलाधिकारी ने आदेश फलक में कही फार्म F में भूस्वामी को नोटिस निर्गत की बात का उल्लेख नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी का कहना है कि CWJC 11683/2003 reported in PLSR 2008 (4) एवं CWJC 4376/2005 reported in PLSR 2006(2) में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लेख किया है, जो निम्नवत है।

In accordance of rule 2 and 6 notice has not been served to land lord entire proceeding under the Act is nullity.

23.5.18

भूस्वामी की 22.07.98 को मृत्यु हो गयी और 02.11.98 को अंचलाधिकारी द्वारा भूस्वामी को जानकारी दिये बिना आदेश पारित किया जाना बिल्कुल असंवैधानिक है।

02.11.98 को जिनके नाम पर्चा निर्गत किया गया कि 29.10.14 को मृत्यु हो गयी और पाँच महिला डोमनी देवी, राधा देवी, दुलारी देवी, शिरोमणी देवी एवं कमला देवी जो अपने को भीखन राम की पुत्री कहती है ने उक्त जमीन पर अपना दावा किया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने Bihar Privileged Person Home Tenancy Act के सेक्सन 9 का हवाला देते हुए उद्धत किया है कि–

That this rights are not the transferable rights and section 2(g) says that the rights are not heritable if not declared permanent tenant and permanent tenancy could be obtained only after agreement with land lord fixing due rent over the land.

इस तरह चूँकि भीखन राम स्थायी रैयत नहीं थे। यह वासगीत पर्चा heritable नहीं है।

इस तरह मृत व्यक्ति के भूमि को बिना नोटिस के वासगीत पर्चा निर्गत किया जाना अवैधानिक बतलाते हुए पर्चा निरस्त करने की याचना की है।

सुना चूँकि मृत व्यक्ति को नोटिस तामिला कराने से संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः अंचलाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सभी पक्षों को पुनः नोटिस निर्गत कर सुनवाई कर एवं स्वयं स्थलीय जाँच कर विधि सम्मत आदेश निर्गत करे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

23.9.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

23.9.17

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 1520-2 /विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017

प्रतिलिपि :– अंचलाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
25.09.017 जिला विधि शाखा, सहरसा।